

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 156 /2022

तारीख रजू :- 17.6.22

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/319

उनवान

मुकेश पुत्र नाथ्या जाति मीना निवासी कोटरा ढहर तहरील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—01

बनाम

श्रीफूल पुत्र बोना जाति जाटव निवासी कोटरा तहरील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—03

दिनांक	फर्द अहकाम	
17.6.22	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री बिजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हो।</p>	
18.7.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण वकील उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादीगण वकील ने अलग-अलग करार किया कि वादीगण जल्द ही जमाना-बाँट दे। वादीगण जमाना में नैतिक करार-बाँट दे। अह. मुकदमा 156/22 याने मुकेश बनाम श्रीफूल नैतिक में अमानि किया जाता है। पत्रावली केमल कुमार यैकर नम्बर 01 कम थी।</p>	<p>(अनुम सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>मुकेश</p> <p>रमाकागा विजयकिशोर श्रीफूल</p>